न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 2022/103

निर्णय दिनांक 27.01.2023

बउनवान

1 रणवीर सिंह पुत्र स्व श्री रामचन्द्र चौधरी निवासी ग्राम विशनपुरा तहसील कनवास जिला कोटा।

प्रार्थी

बनाम

1 केसरीलाल पुत्र बंजरगाल जाति नायक निवासी ग्राम भीलखेडा बरेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड

2 श्री किशन पुत्र बंजरग लाल जाति नायक ग्राम भीलखेडा बरेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) आटीएक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 251 (क) आरटीएक्ट के तहत पेश निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा न 474 वाके विशनपुरा हल्का पटवारी हिंगोनिया में स्थित हैं जो पारिवारिक बटवारें में प्रार्थी की हिस्सेदारी में आया है। प्रार्थी काश्त करने के लिए खेत में पूर्व में प्रचलित रास्ते नहर पर बनी सडक से होते हुए नजदीकी खेत खसरा न 475 459 एवं 457 की मेड पर होते हुए जाया करते थे और बिना किसी विघ्न बाधा के काश्त का कार्य किया जाता रहा था। कुछ वर्ष पूर्व मेरे खेत के नजदीकी खेत खसरा न 475, 459 एवं 457 श्री केसरीलाल पुत्र बंजरंग लाल एवं श्री किशन पुत्र बजरंगलाल सा0 ग्राम भीलखेडा बरेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड ने खरीद लिया और मुनाफा काश्त पर किसी अन्य किसान को देते है। मुनाफा काश्त करने वाले पंरपरागत रास्ते से नही निकलने देते है। इससे मेरे खेत में काश्त करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पडता है मेरे खेत खसरा न0 474 एवं खसरा न0 475 की मेड एक ही है यानि खेत आपस में लगे हुए है जैसा कि संलग्न नक्शे में स्पष्ट किया गया है। नक्शे में दिखाये अनुसार **अ** से **ब** तक मेरे खेत में काश्त के लिए आने जाने के लिए रास्ता दिलवाने की कृपा करें रास्ते के लिए खसरा न 475 459 एवं 457 की आने वाली भूमि के बदले में मेरे खेत खसरा न 474 की खसरा न 475 के पास वाली **ब** से **स** तक समान क्षेत्रफल की भूमि श्री केसरीलाल पुत्र बंजरग लाल एवं श्री किशन पुत्र बंजरग लाल सा ग्राम भीलखेडा बरेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड को हस्तातंरित करने के लिए अपनी पूर्ण सहमति प्रदान हेतु निवेदन किया।

प्राथी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण तलवी जर्ये सम्मन कि गई अप्रार्थी कम 1 व 2 उपस्थित हुए सम्मन बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त संबधं में भू0 अभि0 निरीक्षक कनवास से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी रणवीर सिंह ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम विशनपुरा पटवार मण्डल हिगोनिया के

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

खसरा न 474 की रकबा 3.39 है आराजी स्थित है जिस पर आने जाने के लिए सदैव से खसरा न 457 459 475 के पूर्वी मेड पर होकर आते जाते रहे खसरा न 457 459 475 खाते में केसरीलाल व श्री किशन पुत्र बंजरगलाला जाति नायक निवासीगण भीलखेडा तहसील खानपुर के सयुक्त खातेदारी में स्थित जिसमे केसरीलाल का 3/7 हिससा व श्री किशन का 4/7 हिस्सा है केसरीलाल व श्री किशन ने प्रार्थी के खेत खसरा न 474 में आने का रास्ता बन्द कर दिया है इसलिए प्रार्थी को केसरीलाल व श्री किशन के खाते की जमीन खसरा न 457, 459, 475 के पूर्व के पूर्वी मेड पर नहरी धोरे के लगवा धोरे के पश्चिमी तरफ रास्ता 4 मीटर चौडा उपलब्ध कराया जावे। भू अभि निरीक्षक व पटवारी हल्का रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि मौके पर खसरा न0 474 मे जाने जाने के लिए खसरा न 457, 459, 475 की पूर्वी मेड पर 4 मीटर चौडा 200 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना उचित होगा। इस हिसाब कुल रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि 800 वर्ग मीटर बनती है। जिसकी डीएलसी दर 9,69,257/– रूप्ये प्रति है0 की दर से 77,541 रूप्ये बनती है तथा कानूनन दुगनी मुआवजा राशि के हिसाब से 1,55,082/– रूप्ये बनती है। प्रार्थी रणवीर सिंह उक्त राशि रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थीगण को देने को तैयार है ऐसी स्थिति मे रास्ते के बदले आने वाली भूमि का मुआवजा की राशि अप्रार्थीगण को दी जाकर रास्ता खसरा न0 474 में जाने के लिए खसरा न0 457 459, 475 के पूर्वी मेड पर सरकारी नहरी धोरे के सहारे धोरे के पश्चिमी तरफ 200 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता अप्रार्थी को मुआवजा राशि दिलवाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी रणवीर सिंह का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) बाबत रास्ता दिलवाये जाने स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाता है कि प्रार्थी रणवीर सिंह 1,55,082 रूप्ये मुआवजा अप्रार्थीगण को अदा करे तथा अप्रार्थीगण को राशि देने के लिए उनके हिस्सा अनुसार 3/7 हिस्से की राशि का चैक केसरीलाल पुत्र बंजरग लाल जाति नायक राशि रूप्ये 66,464 का एक चैक संख्या 062223 पंजाब नेशनल बैक शाखा एरोड्राम कोटा का दिया गया तथा इसी प्रकार श्री किशन पुत्र बंजरगलाल जाति नायक निवासी भीलखेडा के 4/7 हिस्से की भूमि का चेक राशि रूप्ये 88,618/– चैक संख्या 062224 जो पंजाब नेशनल बैक शाखा एरोड्राम कोटा का है इस न्यायालय में पेश किया जो अप्रार्थीगण को दिलवाया जावे तथा उक्त खातेदार केसरीलाल व श्री किशन पुत्र बंजरागलाल जाति नायक निवासी भीलखेडा के खाते की ग्राम बिशनपुरा की खसरा न0 457, 459, 475 की भूमि में से पूर्वी तरफ की नहरी धारे के लगवा (धोरे को छोडकर) धारे के पश्चिमी तरफ की 200 मीटर लम्बी व 4 मीटर चोडाई कुल 800 वर्गमीटर भूमि गै0 मु0 रास्ते में खातेदार रणवीर सिंह के खसरा न0 474 मे आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे दर्ज की जावे। उक्त भूमि रास्ते में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार कनवास को तहरीर जारी हो अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि का चैक प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी होकर यदि अप्रार्थी नियत तारिख तक चैक लेने के लिए इस न्यायालय में उपस्थित नही होते है तो चैक की राशि का इस न्यायालय मे जमा कर लिये जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

Scanned with ACE Scanner